भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 828
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम जन औषधि केंद्र

828. **श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः**
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दीना पाटिलः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री अमर शरदराव कालेः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) 2024-25 के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाने वाले प्रस्तावित नए पीएमबीजेके की संख्या कितनी है;

(ग) देश भर के राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातीय क्षेत्रों में नए पीएमबीजेके खोलने के लिए बजट आवंटन तथा 2023-24 के दौरान और अब तक उक्त उद्देश्य के लिए उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएमबीजेके के मालिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातीय क्षेत्रों के मालिकों को दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुल 178 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	खोले गए जेएके
1	2021-22	49
2	2022-23	36
3	2023-24	93
कुल		**178**

महाराष्ट्र राज्य में, इस योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 31.10.2024 तक, राज्य के सभी 36 जिलों और 180 ब्लॉकों को कवर करते हुए कुल 702 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) श्रेणी के तहत, महाराष्ट्र में 52 जेएके भी खोले गए हैं।

(ख): सरकार ने मार्च 2025 तक देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने का निर्णय किया है। नए जेएके खोलने के लिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य नहीं है।

तथापि, महाराष्ट्र सहित देश के सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(ग): वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आबंटित निधि (रुपए करोड़ में)	उपयोग की गई निधि (रुपए करोड़ में)
1.	2023-24	110.00	110.00

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और क्षेत्र-विशिष्ट बजट आवंटन नहीं किया गया है।

(घ): पीएमबीजेपी के तहत जन औषधि केंद्र के मालिकों को मासिक खरीद के 20% की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति माह है।

उपरोक्त सामान्य प्रोत्साहन के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए पीएमबीजेपी केंद्रों अथवा महिला उद्यमियों, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा खोले गए पीएमबीजेपी केंद्रों को फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य फिक्स्चर के रूप में 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

*****